सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 16/2016(प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2016/00033

अनवान

1. श्री रोशनलाल पिता वीरमा गरासिया, निवासी केवड़ी–पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
2. श्री शान्तिलाल पिता केशा गरासिया, निवासी केवड़ी–पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
3. श्री मांगीलाल पिता केशा गरासिया, निवासी केवड़ी–पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
4. श्री नाना पिता खेमा गरासिया, निवासी केवड़ी–पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भुरा पिता लाला उर्फ लालुराम गरासिया, निवासी पानरवा, तहसील झाडोल, उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये उप–जिला कलक्टर झाडोल, उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1

अपील प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक : 30-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत कर मौजा पानरवा, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 607 रकबा 9 बीघा (हाल आराजी संख्या 1701 रकबा 0.08हे., 1686 से 1689, 1701 से 1704) पर विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 24.12.1978 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया कि प्रार्थीगण निर्धन काश्तकार हो प्रार्थीगण द्वारा सन् 1974 मे उक्त भूमि पर 60 वर्ष पूर्व कुंआ खोदा गया, रहट लगाया व प्रार्थीगण द्वारा निरन्तर काश्त की जाती रही हैं। उक्त भूमि पर 1978 से वाटर पम्प लगा हुआ है तथा वर्ष 2012 से लाईट कनेक्शन लिया हुआ हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन हेतु भरे गये फार्म मे न तो दिनांक है, न किसी गवाह के हस्ताक्षर है, भुरा के फर्जी अंगुठे लगाकर आवंटन का गलत कागज तैयार किया गया हैं। उक्त आवंटन प्रथम दृष्ट्या विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 की उम्र 10 वर्ष की होने से जानबुझकर आवंटन पत्र में नाबालिग की आयु नहीं लिखी गई हैं। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नहीं हुआ। प्रार्थीगण के जीवनयापन का साधन यही कृषि भूमि हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये कथित आवंटन को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से श्री लोकेश जैन, अधिवक्ता ने वकालात पत्र पेश कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित हैं। उक्त विवादित आराजीयात पर स्थित कुंआ, रेहट व पम्प विपक्षी संख्या 1 के है एवं जहां तक विद्युत कनेक्शन का प्रश्न है, उसका प्रार्थीगण को विपक्षीगण के कुंए से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी संख्या 1 आवंटित जमीन पर वर्षो से काबिज हो कृषि कार्य कर रहा है। विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 1 करीब 60 वर्ष का है, जो पूर्व में अंगुष्ठ करता था एवं 1985 के बाद सेवा मन्दिर के साक्षरता शिविर में हस्ताक्षर करना सीखा है एवं उसके पश्चात् हस्ताक्षर करता है। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 वयस्क था तथा आवंटन कमेटी ने उक्त जमीन आवंटन योग्य होने से उद्घोषणा जारी होने के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 को मौके से बेदखल करना चाहते है अतः इनके द्वारा आवंटन निरस्ती बाबत गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी संख्या 1 को 1978 में उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व आवंटित हुई है तथा जमीन का सेटलमेन्ट सम्वत् 2033 से 2036 के बीच हुआ है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के कारण इस न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार, झाडोल से विवादित आराजी पर मौके की रिपोर्ट मंगवायी गई। तहसीलदार, झाडोल ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/214 दिनांक 23.03.2017 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया है कि राजस्व रेकर्ड में हाल आराजी नं. 1686 रकबा 0.03 हेक्टेयर, आराजी नं. 1687 रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि श्री नारायण पिता धन्ना गरासिया के नाम सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। आराजी नं. 1688 रकबा 0.06 हेक्टेयर एवं 1689 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि श्री रोशनलाल पिता वजा गरासिया के नाम सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है। आराजी नं. 1701 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि भूरा पिता लालाराम गरासिया के नाम दर्ज है। आराजी नं. 1702 रकबा 0.04 हेक्टेयर, 1703 रकबा 0.41 हेक्टेयर, आराजी नं. 1704 रकबा 0.05 हेक्टेयर हकरा पिता लाला गरासिया के नाम सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है। मौके पर आराजी संख्या 1686 एवं 1687 पर खातेदार श्री नारायण पिता धन्ना गरासिया द्वारा काश्त किया जाना पाया गया। आराजी संख्या 1688 पर भी स्वयं खातेदार श्री रोशनलाल पिता वजा गरासिया द्वारा काश्त किया जाना पाया गया एवं आराजी नं. 1689 भूमि पडत होकर श्री रोशनलाल पिता वजा गरासिया का काबिज होना पाया गया। आराजी नं. 1701 रकबा 0.08 हेक्टेयर में से 0.07 हेक्टेयर पर स्वयं खातेदार भुरा द्वारा काश्त की जाना एवं शेष रकबा 0.01 हेक्टेयर पर भुरा, शान्ति, मांगीलाल, हकरा, रोशन एवं नाना द्वारा सामूहिक रूप से कुंआ खोदा जाना पाया गया। आराजी नं. 1702 एवं 1703 एवं 1704 पर स्वयं खातेदार हकरा पिता लाला गरासिया द्वारा काश्त किया जाकर काबिज होना पाया गया। तहसीलदार से मौका प्राप्त होने पर

पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रेकर्ड पर रखे जाकर बहस किये जाने में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त न करने से आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रेकर्ड पर रखा जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 24.12.1978 को निरस्त करने की मांग कतरे हुए विपक्षी संख्या 1 के पास पूर्व से जमीन होना, विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन में मिसरिप्रजेन्टेशन होना, प्राथमिकता का अनुसरण नही करने एवं मिलीभगत से आवंटन करने से उक्त आवंटन को अवैध एवं शून्य बताया एवं उक्त आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 को किया गया कथित आवंटन वर्ष 1978 का है एवं वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा हो उन्ही के द्वारा कुंआ खुदवाया गया है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 को उक्त आराजीयात पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र, रेस्पोडेन्ट के जवाब, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। प्रकरण में विवाद विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी संख्या 607 रकबा 9 बीघा (हाल आराजी संख्या 1701 रकबा 0.08 हे., 1686 से 1689, 1701 से 1704) पर विपक्षी संख्या 1 को किये गये आवंटन आदेश दिनांक 24.12.1978 का है। जिस पर उभयपक्ष का अपना अपना कब्जा बताया जा रहा है। आवंटन पत्रावली संख्या 109 दिनांक 24.12.1978 (भू–आवंटन) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा श्री भुरा पिता लालूराम द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट में कब्जा प्राप्तकर्ता के रूप में विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर पटवारी एंव भू–अभिलेख निरीक्षक एवं गवाहान की उपस्थिति में मौजूद होकर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो या गलत तरीके से आवंटन होना जाहिर नही होता है। वर्तमान में उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही

धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजीयात के कुछ भाग पर प्रार्थीगण का कब्जा होना पाया गया है, किन्तु उक्त कब्जा आवंटन वर्ष 1978 से पूर्ववर्ती हो ऐसा कोई तथ्य रिपोर्ट पर नहीं है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के नाबालिग होने का उल्लेख किया है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई भी दस्तावेज पेश करने में प्रार्थीगण के अधिवक्ता असफल रहे है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के नाम वर्ष 2012 से विद्युत कनेक्शन होना भी अवगत कराया है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्षीगण को आवंटन वर्ष 1978 में हुआ है एवं लाईट कनेक्शन वर्ष 2012 को बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त विद्युत बिल इसी विवादित आराजीयात का हो, स्पष्ट नहीं है। किसी खातेदार की भूमि पर मात्र अन्य व्यक्ति के पश्चातवर्ती कनेक्शन को आधार बनाकर ऐसे आवंटन को निरस्त कर किसी भी खातेदार को भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा पानरवा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 607 रकबा 9 बीघा पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा मिसल नम्बर 109 दिनांक 24.12.1978 (भू–आवंटन) से विपक्षी संख्या 1 श्री भुरा पिता लालूराम के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 24.12.1978 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर